Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

अकबर और हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव

डॉ0 आनन्द प्रकाश,असि0 प्रोफेसर इतिहास,
पं0रा0ल0शु0 राजकीय पी0जी0 कालेज
आलापुर,अम्बेडकर नगर।

शोध आलेख सार– मानवता के हित को सर्वोपरि रखकर अकबर ने अपनी शासन सत्ता संचालित की। जिससे हिन्दू–मुसलमान दोनों वर्गों का हित हुआ और आपस में सद्भाव की भावना का विकास हुआ। दोनों सम्प्रदायों के बीच उत्पन्न वैमनस्यता में कमी आयी। अकबर की यह मध्यकालीन समन्वय एवं सद्भाव की नीति एक विशिष्ट उपलब्धि है। जो आज भी भारत ही नहीं विश्व के लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है।

मुख्य शब्द– अकबर, हिन्दू, मुसलमान, मध्यकालीन, भारत, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद।

भारत में विभिन्न जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय के लोग रहते है। सबके अपने–अपने मत एवं विश्वास है,जो उनमें परम्परागत कई पीढियों से कुछ परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। ऐसी स्थिति में देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कदम है। क्योंकि 21वीं शदी का भारत अभी भी जाति–पांति, अगड़ी पिछड़ी, मंदिर–मस्जिद, हिन्दू–मुसलमान आदि विनाशकारी प्रवृत्तियों से पूरी तरह जकड़ा हुआ है। जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सौहार्द, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रहित के समक्ष संकट उत्पन्न होते रहते है। तत्कालीन वोट बैंक की राजनीति ने तो कोढ़ में खाज का काम किया है। जिसने स्वार्थ हेतु साम्प्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे की बलि चढ़ा दी है। इस तरह सत्ता प्राप्ति की राजनीति ने सामाजिक सदृभाव एवं राष्ट्रीय एकता के लिए आपदा ही उपस्थित कर दी है। यही कारण है कि भारत में भारतीय पैदा नहीं होते बल्कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई और विभिन्न सम्प्रदाय के लोग पैदा होते है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि सभी देशवासी इस बात को स्वीकार करें कि वे भारतीय पहले है। आज की वर्तमान परिस्थिति के आलोक में हम 16वीं शताब्दी के महान मुगल बादशाह अकबर द्वारा किए गये साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के प्रयास को उदाहरणीय मान सकते है कि किस तरह अकबर ने समय,काल एवं परिस्थिति के विपरित कार्य करते हुए हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव स्थापित किया।

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल बादशाह अकबर ने राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को ध्यान में रखकर शासन किया। जिसकी वजह से उसे अकबर महान की सम्मानजनक उपाधि प्रदान की जाती है। हालांकि उसे मुसलमानों और गैर मुसलमानों को सदैव अलग रखने की पुरानी नीति विरासत में मिली थी।[1] जिसके कारण अपने शासन के प्रारम्भिक दौर में वह काफी अनुदार था। किन्तु इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह परिस्थितियों का दास था। डॉ0 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते है कि जैसे ही अकबर ने दूसरे लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वयं सत्ता संभाली वैसे ही अपने पूर्वजों की नीति को बदल दिया।[2] परम्परागत रुप से चले आ रहे इस्लामी राजत्व सिद्धान्त को सर्वप्रथम अकबर ने एक नई दिशा प्रदान की। जिसके बारे में अबुल फजल लिखता है कि राजत्व का मुल तत्व है सुलहकुल अर्थात् सहिष्णुता का सूत्रपात करना और सभी मनुष्यों व धार्मिक सम्प्रदायों को समान समझना। दूसरी जगह वह लिखता है कि राजत्व ईश्वर की देन है और वह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कि एक व्यक्ति में विवेकशीलता , दया, साहस, न्याय, परिश्रम, सदाचार, क्षमाशीलता आदि विशेषताएं विद्यमान न हो।[3] अकबर के राजत्व के सिद्धान्त के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसमें मुगल, मुस्लिम और हिन्दू विचारधाराओं का समन्वय था।

अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया। उसने न्याय के मामले में सभी नागरिकों को समान मानते हुए,पूर्व से चली आ रही इस्लामी भेद–भाव की पद्धति का अन्त किया। व्यापार,विनिमय,क्रय–विक्रय,ठेके, समझौते आदि के कानून मुस्लिम तथा गैर मुस्लिमों के लिए अब समान कर दिए गये तथा राज्य में कर की दर भी सभी नागरिकों के लिए एक समान कर दी गई। उसकी नीति का उद्देश्य था कि सभी भारतीय जातियों कोजहां तक सम्भव हो सके वहां तक एक ही कानून व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाय।[4] सेना और राजस्व विभाग में चली आ रही भेद–भाव की नीति को त्याग कर अकबर ने सरकारी सेवा हेतु नस्ल,जाति और धर्म को दरकिनार करते हुए योग्यता को वरियता दी। सारे अधिकारी सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाते थे। नियुक्ति की एक निश्चित प्रक्रिया होने के वावजूद विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं निर्धारित नहीं थी किन्तु अकबर व्यक्ति को पहचानने में निपुण था और वह नियुक्तियों में पूर्ण सावधानी बरतता था।[5]

भारतीय समाज में व्याप्त कुरितियों को दूर कर सामाजिक सद्भाव की भावना को गति प्रदान करने के लिए अकबर ने सामाजिक सुधार की तरफ ध्यान दिया। मुस्लिमों के लिए नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति केवल एक विवाह कर सकता है। चचेरे भाई–बहन आपस में विवाह नहीं कर सकते है। खतना के लिए 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। कातवालों को निर्देश दिया गया कि इन नियमों का पालन कराएं।[6] हिन्दुओं के धार्मिक कानूनों में संशोधन करते हुए, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी और जबरदस्ती सती किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। स्त्रियों के अनैतिक व्यवसाय एवं व्यापार पर रोक लगाया। विवाह के लिए आपसी सहमति और बालक के लिए 16 वर्ष तथा बालिका के लिए 14 वर्ष से कम आयु में विवाह को निषिद्ध कर दिया। विवाह का सरकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। मुसलमानों के विवाह ,तलाक,विरासत आदि मामले इस्लामी कानून द्वारा और हिन्दुओं के ऐसे मामले हिन्दू कानून द्वारा तय किये जाते थे। लेकिन फौजदारी मामलों के लिए सबके लिए एक

समान कानून था। इस प्रकार से अकबर ने कानूनों के उचित प्रबन्ध से गैर मुस्लिमों के साथ समानता का बर्ताव किया।[7]

अकबर ने पूर्व के इतिहास से यह सबक सीख लिया था कि हिन्दुओं–मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग के बिना कोई भी शासन स्थाईत्व नहीं ग्रहण कर सकता। सम्भवतः इसी भावना से प्रेरित होकर 1562 ई0 को युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने तथा बलपूर्वक ईस्लाम स्वीकार कराने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।[8] दूसरे वर्ष यानि 1563 ई0 में उसने हिन्दू यात्रियों से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया और 1564 ई0 में जजिया कर भी हटा कर सभी के लिए एक सी नागरिकता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया ।[9] इससे हिन्दुओं कोअपने त्योहार सार्वजनिक रुप से मनाने की भी छूट मिल गई और वर्षों से चली आ रही यहधारणा भी समाप्त हो गई कि हिन्दुओं के धार्मिक समारोह सार्वजनिक रुप से मनाने पर मुसलमानों के धार्मिक नियमों का खण्डन होता है। इतना ही नहीं हिन्दू–मुसलमानों के बीच सद्भाव बढाने के लिए उसने हिन्दू धर्म ग्रन्थों–अथर्ववेद,महाभारत,रामायण और हरिवंश पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। जिससे हिन्दू धर्म के बारे में मुसलमानों को जानकारी हो।

इस्लाम के सिद्धान्तों को समझने के लिए अकबर ने 1575 ई0 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। प्रारम्भ में इसके दरवाजे केवल इस्लाम के विद्वानों के लिए ही खुले थे। किन्तु 1578 ई0 से सभी धर्म के विद्वानों को इबादत खाने में परिचर्चा हेतु बुलाया जाने लगा। तर्क संगत एवं मुक्त चर्चा के परिणाम स्वरुप अकबर यह समझ गया कि केवल इस्लाम ही श्रेष्ठ धर्म नहीं है बल्कि अन्य धर्मों में भी कुछ अच्छे तत्व हैं। अतः उसे कोई भी धर्म पूरी तरह उपयुक्त नहीं लगा, क्योंकि प्रत्येक धर्म में जहॉ कुछ सत्य है वहॉ कुछ असत्य भी है। जो कि भारत के लिए राष्ट्रीय धर्म के रुप में अनुपयोगी थे। वह चाहता था कि पूरे देश के लिए एक ऐसा धर्म हो,जिसमें वर्तमान धर्मों की सारी अच्छाइयॉ विद्यमान हो। इसके लिए उसने दीन–ए–इलाही की स्थापना की,जिसमें प्रायः सब धर्मों की अच्छी बातों का संकलन था। वास्तव में इसकी स्थपना का उद्देश्य ऐसे प्रबुद्ध और उदार मन वाले भारतीयों को इकट्ठा करना था,जो अकबर को अपना राजनितिक व धार्मिक नेता मानते थे,जो सब धर्मों की सत्यता पर विश्वास करते थे तथा एक ही मंच पर आ सकते थे।[10] बदायूँनी के अनुसार अकबर सूर्य की उपासना, आत्मा केआवागमन एवं हिन्दुओं के प्रमुख संस्कारों में विश्वास करता था। रक्षाबंधन,दशहरा, दीवाली बड़ी धूम–धाम से मनाता था। हिन्दुओं के समान तिलक लगाता था और अपनी मॉ की मृत्यु पर सर मुड़वाया था। सलीम का विवाह हिन्दू रीति से कराया था तथा राजमहल की हिन्दू रानी एवं दासियों को स्वतन्त्रता पूर्वक अपने रीति–रिवाज मनाने की छूट प्राप्त थी।[11]

शाही सेवा में अकबर ने योग्यता एवं उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए नियुक्तियां की। इसमें जाति,धर्म और देश आदि का ध्यान नहीं रखा।[12] उसकी इस नीति के कारण ही उसे मानसिंह, भगवानदास, टोडरमल, बीरबल, पुरुषोत्तम, दशवन्त, बसावन, तानसेन आदि प्रमुख व्यक्तियों की सेवा और स्वामिभक्ति प्राप्त हुई। राजपूतों से मैत्री एवं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने को भी हम हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव के संदर्भ में देख सकते हैं। सर्वप्रथम आमेर के कछवाहा राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करना चाहा। बादशाह ने उसकी इच्छा

स्वीकार कर ली। इस क्रम में बीकानेर के राजा कल्याण मल, जैसलमेर के रावल हरिराय,मारवाड़ के राजा उदय सिंह तथा डूंगरपुर के रावल आसकरण ने भी अकबर से अपनी पुत्रियों का विवाह सम्पन्न कर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया। अकबर ने उक्त सम्बन्ध हेतु किसी तरह का दबाव नहीं डाला तथा उक्त राज्यों के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।[13] इस तरह अकबर ने राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया। जो राजपूत अभी तक मुस्लिम शासकों के विरोधी थे,वे ही मुगल साम्राज्य के स्तम्भ बन गये।

सांस्कृतिक क्रिया कलापों में भी अकबर के उदार,सहिष्णु एवं समन्वयवादी नीति के दर्शन होते हैं। उसने बिना किसी भेदभाव के उच्चकोटि के कलाकारों एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। जिसके परिणाम स्वरुप एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का निर्माण सम्भव हो सका। शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए यह निश्चित किया कि हर लड़के को नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, रेखा गणित, शरीर विज्ञान, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, औषधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी, मात्रा विज्ञान, धर्मशास्त्र, इतिहास और अन्य विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और इन सबका ज्ञान धीरे–धीरे प्राप्त कर लेना चाहिए।[14] अकबर ने हिन्दी, भारतीय इतिहास और हिन्दू दर्शन के पढ़ाये जाने पर विशेष जोर दिया। पहली बार हिन्दू शिक्षण संस्थाओं और विद्वानों को भी राजकीय अनुदानों से लाभान्वित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने सद्भाव एवं समन्वय लाने के लिए कारीगरों को अपने ढंग से बिना किसी धार्मिक अंकुश के कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान की। जिसके परिणाम स्वरुप हिन्दुओं के कमल,चक्र,स्वास्तिक आदि रुपकों का भी प्रयोग स्थापत्य में दिखाई पड़ता है। प्रत्येक वास्तुकार अपनी इच्छा से किसी भी शैली में निर्माण के लिए स्वतन्त्र था। फलस्वरुप जो भी भवन निर्मित हुए,उनमें से कुछ मुस्लिम एवं कुछ हिन्दू शैली के अनुसार थे तथा अधिकतर मिश्रित शैली के थे, जिन्हे हिन्दू–मुस्लिम शैली कहा जाता है।[15] अकबर की सहिष्णु नीति ने सभी धर्म के मानने वालों को अपनी विधि से ईश्वर की पूजा तथा मंदिर या देवालयों के बनाने की छूट प्रदान की गई।

मध्यकालीन धर्मान्धता से अकबर की मुक्ति का परिचायक उसकी चित्रकला के संदर्भ में किये गये ऐतिहासिक कार्य है।कुरान के आदेशों के विपरित चित्रकारों ने प्रकृति चित्रण में भारतीय फल–फूल, पशु–पक्षी तथा हिन्दु देवी–देवताओं की छवियों का चित्रण किया। ग्रन्थ चित्रण की श्रेणी में भारतीय कथाएं और ऐतिहासिक ग्रन्थ आते है,अकबर ने रामायण, महाभारत, पंचतत्र को चित्रित कराया था। दसवंत और बसावन प्रमुख हिन्दू चित्रकार थे। इस तरह से उसने संकुचित धार्मिक बंधनों में जकड़ी चित्रकला को नव जीवन प्रदान किया,जिससे जहॉगीर के काल में यह कला अपने चरमोत्कर्ष तक पहुॅच गई। इसी तरह अकबर ने संगीत कला के विकास को भी गति प्रदान की बड़े–बड़े संगीतकारों को दरबार में आश्रय दिया गया,जिसमें तानसेन का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। आइन–ए–अकबरी में 36 श्रेष्ठ संगीतज्ञों के नाम दिये गये है।[16] बिना किसी भेदभाव के संगीतकारों को मनसब एवं

पद दिये गये।इस प्रकार के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के परिणाम स्वरुप विश्व प्रसिद्ध राग–रागिनियों का आविश्कार अकबर के शासन काल में हुआ, जो कि भारतीय संगीत कला के लिये अद्वितीय है।

उक्त विभिन्न विवरणोंपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अकबर ने न केवल मुस्लिम अपितु पूरे भारतीयों के शासक के रुप में एक राष्ट्रीय शासक की भॉति शासन किया। जिससे भारत को विभिन्न क्षेत्रों जैसे–राजनितिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि में समृद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार के विचार प्रमुख इतिहासकारों द्वारा भी अपने अध्यनोपरान्त दिए गये है। डॉ0 कालिका रंजन कानूनगो के शब्दों में अकबर ने एक राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया था। चित्रकारी,स्थापत्य,संगीत तथा साहित्य की राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित करके उसने इस सम्राज्य को उन्नति के नवीन पथ पर अग्रसर कर दिया। इसमें भारतीय तथा इस्लामी कला और संस्कृति के उत्तम तत्व सम्मिलित थे।[17] कुछ ऐसा ही विचार डॉ0 हरिशंकर श्रीवास्तव ने भी व्यक्त किया है कि 'अकबर की सहिष्णुता की नीति ने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की इससे देश के सभी नागरिकों को समानता प्राप्त हुई। हिन्दू तथा मुसलमान साथ–साथ प्रशासन,सेना तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते थे। इससे भारतीय एकता की भावना को बल मिला।[18] डॉ0 नागेन्द्र कुमार सक्सेना ने लिखा है कि 'वास्तव में अकबर मध्ययुगीन शासकों में अपना सानी नहीं रखता। वह राष्ट्र निर्माता सही मायने में कहा जाने याग्य है। उसे मध्य युग में राष्ट्रीयता का पोषक कहना अत्युक्ति न होगी।[19]

अतः हम कह सकते है कि मानवता के हित को सर्वोपरि रखकर अकबर ने अपनी शासन सत्ता संचालित की। जिससे हिन्दू–मुसलमान दोनों वर्गों का हित हुआ और आपस में सद्भाव की भावना का विकास हुआ। दोनों सम्प्रदायों के बीच उत्पन्न वैमनस्यता में कमी आयी। अकबर की यह मध्यकालीन समन्वय एवं सद्भाव की नीति एक विशिष्ट उपलब्द्धि है। जो आज भी भारत ही नहीं विश्व के लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है।

संदर्भ सूची

1–आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–अकबर महान,भाग–2,पृष्ठ–12.

2– आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव– अकबर महान,भाग–1,पृष्ठ–65.

3–अकबरनामा,भाग–2, पृष्ठ–421(अंग्रेजी अनुवाद एच0 वेवरिज)।

4– आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–अकबर महान,भाग–2,पृष्ठ–285–286.

5–सुरेश मिश्र–अकबर, पृष्ठ–124.

6–आइन–ए–अकबरी,भाग–1, पृष्ठ–287–288(अंग्रेजी अनुवाद एच0 ब्लाखमैन तथा डी0सी0फिलाट)।

7– आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–अकबर महान,भाग–2,पृष्ठ–282.

8– अकबरनामा,भाग–2, पृष्ठ–159–160,(अंग्रेजी अनुवाद एच0 वेवरिज)।

9–मुन्तखब–उत–तवारीख,भाग–2 पृष्ठ–392,(अंग्रेजी अनुवाद रैंगिग लो तथा हेग)।

10– आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–अकबर महान,भाग–2,पृष्ठ–311.

11–सुरेश मिश्र–अकबर, पृष्ठ–106.

12– आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–अकबर महान,भाग–2,पृष्ठ–268.

13––सुरेश मिश्र–अकबर, पृष्ठ–38.

14– आइन–ए–अकबरी,भाग–1, पृष्ठ–287–288(अंग्रेजी अनुवाद एच0 ब्लाखमैन तथा डी0सी0फिलाट)।

15–वी0ए0 स्मिथ–महान मुगल अकबर (हिन्दी अनुवाद) लखनऊ 1967, *पृष्ठ–446.*

16– आइन–ए–अकबरी,भाग–1, पृष्ठ–287–288(अंग्रेजी अनुवाद एच0 ब्लाखमैन तथा डी0सी0फिलाट)।

17–कालिका रंजन कानूनगो–दाराशिकोह पृष्ठ–178.

18–डॉ0हरिशंकर श्रीवास्तव–मुगल शासन प्रणाली, पृष्ठ–247.

19–डॉ0 नगेन्द्र सक्सेना– राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक सूत्र,पृष्ठ–65.